

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 6 /2023/2336146/2023
लखनऊ, दिनांक 16 मई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती है कि मै0 काई वेयर हाउसिंग प्रा0लि0, मोर कोठी, गंगापुर, जिला बरेली के स्वामित्वाधीन प्रस्तावित स्थल ग्राम उमरसिया, बुखारा-फरीदपुर बाईपास रोड, जिला बरेली के आठ भाण्डागारों (कुल क्षमता 13673.80 मीट्रिक टन) का नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, लकड़ी, फल-सब्जियों के थोक सौदों हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उपस्थल की खसरा एवं चौहददी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, बरेली के मंडी क्षेत्र में स्थित ग्राम उमरसिया, बुखारा-फरीदपुर बाईपास रोड, जिला बरेली के खसरा संख्या-525 का कुल 1.044 हे० भू क्षेत्रफल।

पूरब	-	खण्डेलवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा०लि०।
पश्चिम	-	खेत ग्राम समाज।
उत्तर	-	चकमार्ग/खेत झन्डूराम के वारिस मोरपाल, कृष्णपाल।
दक्षिण	-	सड़क बुखारा से फरीदपुर।

डॉ० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: -6 /2023/2336146/2023, तदिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 16 मई, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बरेली।
5. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बरेली।
6. फर्म मै० काई वेयर हाउसिंग प्रा०लि०, मोर कोठी, गंगापुर, जनपद बरेली।

आज्ञा से,
रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no . 6/2023/2336146/2023 dated 16 May,2023

Notification

No. 6/2023/2336146/2023

Lucknow ; Dated : 16 May,2023

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965, the Governor is pleased to declare that eight warehouses (total capacity 13673.80 Metric Tonnes), area of which is detailed in the table below, owned by M/s. Kai Ware Housing Private Limited, Mor Kothi, Gangapur, District Bareilly, located in Village Umarasia, Bukhara-Faridpur Bypass Road, District Bareilly shall function as Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified food grains, pulses, oilseeds, spices, wood, fruits and vegetables for a period of twenty years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Total land area of 1.044 Hectares of Khasra Number-525 located with in Market area of Agricultural Produce Market Committee, Bareilly ,Village Umarasia, Bukhara-Faridpur Bypass Road, District Bareilly.

East : Khandelwal distributors Pvt. Ltd.

West : Khet Gram Samaj.

North :Chakmarg / Khet of Morpal, Krishnapal, the heir of Jhanduram.

South : Road Bukhara to Faridpur .

By order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary .

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।